



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-21022026-270383
CG-DL-W-21022026-270383

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 21—फरवरी 27, 2026 (फाल्गुन 2, 1947)
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 21—FEBRUARY 27, 2026 (PHALGUNA 2, 1947)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	53	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	119	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	217	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	473
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	1
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	1149
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	53	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	119	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	217	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	473
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1149
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की

गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 अगस्त 2025

सं. 1 प्रेस/2026—राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2025 के अवसर पर, 0629-डी, समादेशक श्रीनिवास गदम को वीरता के लिए तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करते हैं।

प्रशस्ति उल्लेख

1. 0629-डी, समादेशक श्रीनिवास गदम भारतीय तटरक्षक के एक अनुभवी अधिकारी हैं। वे 29 जनवरी 2002 को सेवा में शामिल हुए और वर्तमान में 840 स्क्वाड्रन (तटरक्षक) के कमान अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। 16 वर्षों से अधिक के उड़ान अनुभव और 2000 घंटे से अधिक दुर्घटना-मुक्त उड़ान तथा इंस्ट्रूमेंट रेटिंग/कैट मास्टर ग्रीन 'बी' के साथ, उक्त अधिकारी ने लगातार असाधारण पेशेवर और परिचालन कौशल का प्रदर्शन किया है।

2. दिनांक 28 नवंबर 2024 को, जब विनाशकारी चक्रवात फेंगल तमिलनाडु तट की तरफ बढ़ रहा था, तब मुख्यालय तटरक्षक क्षेत्र पूर्व को तमिलनाडु राज्य के अधिकारियों से दोपहर 1410 बजे एक संकटकालीन कॉल प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि कुड्डालोर के पास 10 मनुआरे अपनी नावों के नष्ट हो जाने के बाद समुद्र में फँस गए हैं। प्रतिकूल मौसम, अत्यंत खराब दृश्यता और परिचालन सीमाओं के बावजूद, अधिकारी ने निस्वार्थ साहस और दृढ़ नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, प्रथम-प्रतिक्रिया हवाई बचाव अभियान का नेतृत्व करने के लिए स्वेच्छा से आगे आए।

3. असाधारण परिचालन योजना का प्रदर्शन करते हुए, अधिकारी ने ईंधन आवश्यकताओं और मिशन मापदंडों का सावधानीपूर्वक आकलन किया और बचाव स्थल पर अधिकतम स्थिरता सुनिश्चित की। 1515 बजे, ए एल एच एम के-III हेलीकॉप्टर ने चेन्नई अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी। लगातार मौसम व्यवधानों, भारी बारिश और तेज़ हवाओं के बीच, अधिकारी ने त्रुटिहीन चालक दल संसाधन प्रबंधन (सी आर एम) और निर्बाध चालक दल समन्वय का प्रदर्शन किया।

4. बचाव स्थल पर पहुँचने पर, टीम को 50 समुद्री मील से अधिक तूफानी हवाओं, शक्ति प्रयोग के कम दायरे और खतरनाक रूप से ऊंची समुद्री लहरों का सामना करना पड़ा। निडर होकर, अधिकारी ने प्रचंड सटीक होवर और कई विचिंग ऑपरेशन किए। उनकी दृढ़ता और उड़ान कौशल के परिणामस्वरूप सभी 10 जीवित बचे लोगों को समुद्र में होने वाली मृत्यु से सफलतापूर्वक बचाया गया।

5. इस अधिकारी के असाधारण साहस, उत्कृष्ट वायु कौशल और जीवन के लिए खतरनाक परिस्थितियों में भी कर्तव्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने भारतीय तटरक्षक को अपार सम्मान दिलाया।

6. उनकी असाधारण वीरता, अटूट संकल्प और उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए, 0629-डी, समादेशक श्रीनिवास गदम ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है और फलस्वरूप इन्हें तटरक्षक पदक (वीरता) प्रदान किया जाता है।

7. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(i) के तहत तटरक्षक पदक (वीरता) प्रदान किया जाता है तथा परिणामस्वरूप नियम 13 के अधीन तटरक्षक पदक (वीरता) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है जो कि राष्ट्रपति सचिवालय अधिसूचना सं. 50-प्रेस/89 दिनांक 7 जून 1989 में अधिसूचित है।

एस. एम. समी

उप सचिव

सं. 2-प्रेस/2026—राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2025 के अवसर पर, 0943-क्यू, समादेशक (क. श्रे.) अंकित शर्मा को वीरता के लिए तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करते हैं।

प्रशस्ति उल्लेख

1. 0943-क्यू, समादेशक (क. श्रे.) अंकित शर्मा, एक कुशल और समर्पित अधिकारी हैं जिन्होंने दिनांक 30 दिसंबर 2010 को भारतीय तटरक्षक में सेवा आरंभ की। अपनी अटूट प्रतिबद्धता, पेशेवर उत्कृष्टता और विशिष्ट सेवा के माध्यम से, उन्होंने एक विश्वसनीय और साहसी

नेतृत्वकर्ता के रूप में ख्याति अर्जित की है। वर्तमान में, उन्हें भारतीय तटरक्षक पोत अरुणा आसफ अली के कमान अधिकारी का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है, जहाँ वे अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए, राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा अत्यंत समर्पण और सतर्कता के साथ कर रहे हैं।

2. दिनांक 23 नवंबर 2024 को, भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र(ईईजेड) में एक संदिग्ध पोत के बारे में एक तटरक्षक विमान से प्राप्त रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए, समादेशक(क.श्रे.) अंकित शर्मा एक मुख्य इंजन के बंद होने और प्रतिकूल मौसम के बावजूद, केवल एक घंटे के भीतर श्री विजय पुरम से रवाना हुए। अनुकरणीय नेतृत्व और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए, भारतीय तटरक्षक पोत ने चुनौतीपूर्ण समुद्री परिस्थितियों में संदिग्ध पोत का पता लगाया और रात भर उसका पीछा किया।

3. असाधारण साहस और ठोस संचालन निर्णयशक्ति का प्रदर्शन करते हुए, उक्त अधिकारी ने दिनांक 24 नवंबर 2024 की सुबह, बैरेन द्वीप से 8 समुद्री मील दूर, पोत अभियान का निर्देशन किया। उनकी टीम ने म्यांमार की मछली पकड़ने वाली नाव को छह म्यांमारी नागरिकों के साथ पकड़ लिया और 6,016.87 किलोग्राम मेथमफेटामाइन जब्त किया, जिसका मूल्य रु 36,000 करोड़ था। भारी संघर्ष के बावजूद, जिससे पोत के जेमिनी क्राफ्ट को काफी नुकसान हुआ, उनके अभिनव मार्गदर्शन ने भारतीय तटरक्षक पोत दल और संपत्तियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की।

4. अधिकारी के अटूट साहस, कुशल नेतृत्व और असाधारण परिचालन कौशल के कारण उन्होंने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क का सफलतापूर्वक खात्मा किया और भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा की।

5. उनके उत्कृष्ट पराक्रम, अटूट संकल्प और उत्कृष्ट नेतृत्व के सम्मान में, 0943-क्यू, समादेशक (क.श्रे.) अंकित शर्मा ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है और फलस्वरूप इन्हें तटरक्षक पदक (वीरता) प्रदान किया जाता है।

6. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(i) के तहत तटरक्षक पदक (वीरता) प्रदान किया जाता है तथा परिणामस्वरूप नियम 13 के अधीन तटरक्षक पदक (वीरता) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है जो कि राष्ट्रपति सचिवालय अधिसूचना सं. 50-प्रेस/89 दिनांक 7 जून 1989 में अधिसूचित है।

एस. एम. समी
उप सचिव

सं. 3-प्रेस/.2026—राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2025 के अवसर पर, 1095-एम, समादेशक (क. श्रे.) राजकमल अत्री को वीरता के लिए तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करते हैं।

प्रशस्ति उल्लेख

1. 1095-एम, समादेशक(क.श्रे.) राजकमल अत्री, एक कुशल और समर्पित अधिकारी हैं, जिन्होंने 12 जून 2012 को भारतीय तटरक्षक में सेवा आरंभ की। 13 वर्षों की अपनी विशिष्ट सेवा के दौरान, उन्होंने असाधारण परिचालन कौशल, पेशेवर क्षमता और कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण का प्रदर्शन किया है। उनके कुशल नेतृत्व और परिचालन उत्कृष्टता के कारण उन्हें भारतीय तटरक्षक के पोत अग्रिम के कमान अधिकारी के रूप में वर्तमान नियुक्ति मिली है, जो एक ऐसी भूमिका है जिसके लिए साहस, सुविचारित निर्णय और राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा में सर्वोच्च जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है।

2. दिनांक 17 नवंबर 2024 को, अधिकारी ने भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र(ई ई जेड) के भीतर एक महत्वपूर्ण समुद्री अभियान के दौरान अनुकरणीय साहस और उत्कृष्ट सामरिक निर्णय का प्रदर्शन किया। यह घटना तब घटी जब पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी(पी एम एस ए) के पोत नुसरत ने जानबूझकर एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव को टक्कर मार दी और उसके चालक दल को गैरकानूनी रूप से हिरासत में ले लिया, जिससे भारतीय नागरिकों के जीवन को गंभीर खतरा हुआ और भू-राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में तनाव बढ़ गया।

3. सशस्त्र टकराव की संभावना सहित गंभीर जोखिमों से पूरी तरह अवगत होने के बावजूद अधिकारी ने अद्भुत धैर्य और परिचालन कुशलता का परिचय दिया। उन्होंने प्रतिरोधी पोत को तेजी से रोकने के लिए सटीकता के साथ पोत का संचालन किया और बिना किसी आक्रामकता के एक दृढ़ कूटनीतिक निर्णय का परिचय देते हुए, उन्होंने प्रभावी संचार और कुशल वार्ता के माध्यम से प्रतिरोधी पोत का सामना किया और अंततः भारतीय मछुआरों की बिना शर्त रिहाई सुनिश्चित की। इस दौरान उन्होंने जान-माल की हानि को रोका, पोत को नुकसान से बचाया और बल प्रयोग किए बिना अस्थिर स्थिति को शांत किया।

4. यह ऑपरेशन अधिकारी की विशिष्ट वीरता, समुद्री कूटनीति की गहरी समझ और उच्च जोखिम वाली परिस्थितियों में असाधारण नेतृत्व का प्रमाण है। उनके कार्यों ने न केवल निर्दोष भारतीय लोगों की जान बचाई, बल्कि राष्ट्रीय संप्रभुता को भी बनाए रखा और अत्यधिक संवेदनशील समुद्री वातावरण में शांति बनाए रखी।

5. उनकी उत्कृष्ट वीरता, अटूट संकल्प और श्रेष्ठ नेतृत्व के सम्मान में, 1095-एम, समादेशक(क.श्रे.) राजकमल अत्री ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है और फलस्वरूप इन्हें तटरक्षक पदक (वीरता) प्रदान किया जाता है।

6. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(i) के तहत तटरक्षक पदक (वीरता) प्रदान किया जाता है तथा परिणामस्वरूप नियम 13 के अधीन तटरक्षक पदक (वीरता) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है जो कि राष्ट्रपति सचिवालय अधिसूचना सं. 50-प्रेस/89 दिनांक 7 जून 1989 में अधिसूचित है।

एस. एम. समी
उप सचिव

सं. 4-प्रेस/2026—राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2025 के अवसर पर निम्नलिखित अफसरों को सराहनीय सेवा के लिए तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

- (i) 0511-एल, महानिरीक्षक अनुपम राय
- (ii) 0445-एल, उप महानिरीक्षक विभूति रंजन

2. सराहनीय सेवा के लिए तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(ii) के तहत तटरक्षक पदक (सराहनीय सेवा) प्रदान किया जाता है जो कि राष्ट्रपति सचिवालय अधिसूचना सं. 50-प्रेस/89 दिनांक 7 जून 1989 में अधिसूचित है।

एस. एम. समी
उप सचिव

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी 2026

सं. 10-10/2024-यू.3(ए)—जबकि, सेंट पीटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च (सम विश्वविद्यालय), चेन्नई ने यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार तमिलनाडु डॉ. एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चेन्नई के निम्नलिखित चार संबद्ध कॉलेजों का अधिग्रहण करते हुए होसुर, तमिलनाडु में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने हेतु यूजीसी पोर्टल पर एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया:—

- i. सेंट पीटर्स मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और अनुसंधान संस्थान, होसुर
- ii. सेंट पीटर्स नर्सिंग कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट, होसुर
- iii. सेंट पीटर्स फार्मसी कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट, होसुर
- iv. सेंट पीटर्स एलाइड हेल्थ साइंसेज कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट, होसुर

2. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 06.08.2025 के अपने पत्र संख्या 8-19(दिल्ली)/2025, के माध्यम से सूचित किया कि यूजीसी ने अपनी स्थायी समिति के माध्यम से आवेदन की जांच कराई थी। समिति ने संस्थान के प्रस्तुतीकरण और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर कुछ निश्चित शर्तों के साथ सेंट पीटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च (सम विश्वविद्यालय), चेन्नई को आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की अनुशंसा की। समिति की अनुशंसा को अध्यक्ष, यूजीसी द्वारा अनुमोदित किया गया।

3. और इसके अतिरिक्त जबकि, मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर सेंट पीटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च (सम विश्वविद्यालय), चेन्नई को होसुर, तमिलनाडु में ऑफ-कैंपस शुरू करने से पहले 3 वर्ष की अवधि के भीतर कुछ निश्चित शर्तों की पूर्ति हेतु दिनांक 04.12.2025 को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया।

4. और जबकि, कुलसचिव, सेंट पीटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च (सम विश्वविद्यालय), चेन्नई ने दिनांक 08.12.2025 के पत्र के माध्यम से आशय पत्र की शर्तों की पूर्ति के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसे सत्यापन और आगे की सलाह के लिए यूजीसी को भेजा गया। प्रत्युत्तर में, यूजीसी ने दिनांक 03.02.2026 के पत्र के माध्यम से बताया कि अनुपालन रिपोर्ट को स्थायी समिति ने स्वीकार कर लिया है और इस मामले में अंतिम अनुमोदन के लिए अनुशंसित किया।

5. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, सेंट पीटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च (सम विश्वविद्यालय), चेन्नई को ऊपर पैरा 1 में यथाउल्लिखित चार कॉलेजों का अधिग्रहण करके तमिलनाडु के होसुर में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने का अनुमोदन प्रदान करता है। यह अधिसूचना तमिलनाडु डॉ. एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाम सेंट पीटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च एंड अन्य द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एलपीए संख्या 16/2026 के अंतिम परिणाम के अधीन है।

6. इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) के साथ-साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों के समय-समय पर जारी नियमों/विनियमों में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों का सेंट पीटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च (सम विश्वविद्यालय), चेन्नई द्वारा अनुपालन किया जाना जारी रहेगा।

पूर्णंदू किशोर बनर्जी
संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 15th August 2025

No. 1-Pres/2026—The President is pleased to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to 0629-D, Commandant Srinivas Gadam on the occasion of the Independence Day, 2025.

CITATION

1. 0629-D, Commandant Srinivas Gadam is an experienced officer of Indian Coast Guard, joined the service on 29 January 2002 and is presently serving as the Commanding Officer of 840 Squadron (Coast Guard). With over 16 years of flying experience and more than 2000 hours of accident-free flying, coupled with Instrument Rating/CAT Master Green 'B', the officer has consistently demonstrated exceptional professionalism and operational acumen.

2. On 28 November 2024, as the devastating Cyclone Fengal battered the Tamil Nadu coast, Headquarters Coast Guard Region East received a distress call at 1410 hours from Tamil Nadu State authorities reporting 10 fishermen stranded at sea after their boats were destroyed off Cuddalore. Despite adverse weather, extremely poor visibility and operational limits being stretched, the officer volunteered to lead the first-response airborne rescue mission, exemplifying selfless courage and resolute leadership.

3. Demonstrating extraordinary operational planning, the officer meticulously assessed fuel requirements and mission parameters, ensuring maximum endurance over the rescue site. At 1515 hours, the ALH Mk-III helicopter launched from Chennai International Airport, navigating through persistent weather systems, heavy rain and strong winds, the officer exercised flawless Crew Resource Management (CRM) and seamless crew coordination.

4. Upon reaching the rescue site, the team encountered gale-force winds exceeding 50 knots, significantly reduced power margins and dangerously rough seas. Undeterred, the officer executed precise hover and multiple winching operations amidst the raging cyclone. His unmatched resilience and flying prowess resulted in the successful rescue of all 10 survivors, snatching them from imminent death at sea.

5. The officer's extraordinary courage, superior airmanship and unwavering commitment to duty, under life threatening conditions, brought immense credit to the Indian Coast Guard.

6. In recognition of his outstanding valour, unwavering resolve, and superior leadership, 0629-D, Commandant Srinivas Gadam has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry).

7. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award, i.e, President's Secretariat Notification No. 50-Pres/89 dated 7th June, 1989.

SM SAMI
Deputy Secretary

No. 2-Pres/2026—The President is pleased to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to 0943-Q, Commandant (JG) Ankit Sharma on the occasion of the Independence Day, 2025.

CITATION

1. 0943-Q, Commandant (JG) Ankit Sharma, an accomplished and dedicated officer, joined the Indian Coast Guard on 30 December 2010. Through his unwavering commitment, professional excellence, and distinguished service, he has earned a reputation as a dependable and courageous leader. Presently, he is entrusted with the vital responsibility of Commanding Officer of Indian Coast Guard Ship Aruna Asaf Ali, leading his team in safeguarding the nation's maritime interests with utmost dedication and vigilance.

2. On 23 Nov 2024, acting on a report from a CG aircraft regarding a suspicious vessel in the Indian Exclusive Economic Zone (EEZ), 0943-Q, Commandant (JG) Ankit Sharma promptly sailed from Sri Vijaya Puram within an hour, despite one main engine being non-operational and prevailing adverse weather. Demonstrating exemplary leadership and resolve, the ship located and shadowed the suspect vessel through the night under challenging sea conditions.

3. Displaying exceptional courage and sound operational judgment, the officer directed the boarding operation during the early hours of 24 Nov 2024, 08 NM off Barren Island. His team apprehended the Myanmar-flagged fishing boat with six Myanmar nationals and seized 6,016.87 kg of Methamphetamine, valued at ₹36,000 crore. Despite heavy rolling that caused significant damage to the ship's Gemini craft, his innovative guidance ensured the safe recovery of the boarding team and assets.

4. The officer's unwavering courage, astute leadership and exceptional operational acumen led to the successful interdiction of a major transnational drug trafficking network, safeguarding India's maritime frontiers.

5. In recognition of his outstanding valour, unwavering resolve, and superior leadership, 0943-Q, Commandant (JG) Ankit Sharma has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry).

6. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award, i.e, President's Secretariat Notification No. 50-Pres/89 dated 7th June, 1989.

SM SAMI
Deputy Secretary

No. 3-Pres/2026—The President is pleased to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to 1095-M, Commandant (JG) Rajkamal Attri on the occasion of the Independence Day, 2025.

CITATION

1. 1095-M, Commandant (JG) Rajkamal Attri, an accomplished and dedicated officer, joined the Indian Coast Guard on 12 June 2012. Through 13 years of distinguished service, he has exhibited exceptional operational acumen, professional competence, and steadfast devotion to duty. His proven leadership and operational excellence have led to his present appointment as the Commanding Officer of the Indian Coast Guard Ship Agrim, a role demanding courage, sound judgment, and the highest degree of responsibility in safeguarding national maritime interests.

2. On 17 November 2024, the officer displayed exemplary courage and superior tactical judgment during a critical maritime operation within India's Exclusive Economic Zone (EEZ). The incident arose when a Pakistan Maritime Security Agency (PMSA) ship Nusrat, deliberately rammed an Indian fishing boat and unlawfully detained its crew, posing a serious threat to the lives of Indian citizens and escalating tensions in a geopolitically sensitive region.

3. Fully aware of the grave risks, including the potential for armed confrontation, the officer exercised remarkable composure and operational brilliance. He manoeuvred ship with precision to swiftly intercept the hostile vessel, adopting an assertive posture without provoking aggression. Demonstrating courage and sound diplomatic judgment, he confronted the hostile entity through effective communication and skillful negotiation, ultimately securing the unconditional release of the Indian fishermen, all while preventing loss of life, avoiding damage to vessels and neutralising the volatile situation without resorting to force.

4. Operation stands as a testament to the officer's conspicuous act of gallantry, deep understanding of maritime diplomacy and exceptional leadership under high-risk conditions. His actions not only safeguarded innocent Indian lives but also upheld national sovereignty and preserved peace in a highly sensitive maritime environment.

5. In recognition of his outstanding valour, unwavering resolve, and superior leadership, 1095-M, Commandant (JG) Rajkamal Attri has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry).

6. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award, i.e, President's Secretariat Notification No. 50-Pres/89 dated 7th June, 1989.

SM SAMI
Deputy Secretary

No. 4-Pres/2026—The President is pleased to award the Tatrakshak Medal for Meritorious Service to the under mentioned officers on the occasion of the Independence Day, 2025:—

- (i) 0511-L, Inspector General Anupam Rai
- (ii) 0445-L, Deputy Inspector General Bibhuti Ranjan

2. The Tatrakshak Medal (Meritorious Service) award is made under 11(ii) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal for Meritorious Service, i.e, President's Secretariat Notification No. 50-Pres/89 dated 7th June, 1989.

SM SAMI
Deputy Secretary

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 10th February 2026

No.10-10/2024-U.3(A)—Whereas, St. Peter's Institute of Higher Education and Research (Deemed to be University), Chennai submitted an online application on UGC Portal to start an off-campus Centre at Hosur, Tamil Nadu by taking over the following four affiliated colleges of The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai, as per the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023:—

- i. St. Peter's Medical College, Hospital and Research Institute, Hosur
- ii. St. Peter's Nursing College and Research Institute, Hosur
- iii. St. Peter's Pharmacy College and Research Institute, Hosur
- iv. St. Peter's Allied Health Sciences College and Research Institute, Hosur

2. And whereas, UGC, vide its letter No. 8-19(Delhi)/2025 dated 06.08.2025, informed that the application was examined by the UGC through its Standing Committee, after presentation of the Institution and based on the documents submitted, recommended for issuance of Letter of Intent (LoI) to St. Peter's Institute of Higher Education and Research (Deemed to be University), Chennai with certain conditions. The recommendation of the Committee was approved by the Chairman, UGC.

3. And further whereas, the Ministry, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LoI) dated 04.12.2025 to St. Peter's Institute of Higher Education and Research (Deemed to be University), Chennai for fulfilment of certain conditions within a period of 3 years before starting an off-campus at Hosur, Tamil Nadu.

4. And whereas, the Registrar, St. Peter's Institute of Higher Education and Research (Deemed to be University), Chennai, vide letter dated 08.12.2025, submitted compliance report in respect of fulfilment of the conditions of the LoI. The same was forwarded to UGC for verification and further advice. In response, UGC, vide letter dated 03.02.2026, informed that the compliance report was accepted by the Standing Committee and recommended for final approval in the matter.

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby accords approval to St. Peter's Institute of Higher Education and Research (Deemed to be University), Chennai to start an off-campus Centre at Hosur, Tamil Nadu by taking over the four colleges as mentioned in para 1 above. This notification is subject to the final outcome of LPA No.16 of 2026 filed by the Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University Vs. St. Peter's Institute of Higher Education and Research & Ors. in the Hon'ble High Court of Delhi.

6. All other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by St. Peter's Institute of Higher Education and Research (Deemed to be University), Chennai.

PURNENDU KISHORE BANERJEE
Joint Secretary